9/2010 मनवरअली-- सरकार

दिनांक	आज्ञा पत्र	
16.5.18	पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत । संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का ने रिपोर्ट की कि मनवरअली पुत्र महबुब खां जाति कायमखानी निवासी गिडानिया तहसील चिडावा ने आराजी ख0नं0 207/2 कुल रकबा 59 50 हैक्टर किस्म गै0मु0 जोहड में से 150 वर्गमीटर पर खुडी एवं चार दीवार बनाकर अतिक्रमण किया है । इस नायब तहसीलदार ने सुनवाई करते हुये गैर सायल को अतिक्रमी घोषित कर अतिक्रमी रकबे से बेदखल किये जाने के आदेश दिये तथा लगान का 50 गुणा अर्थ दण्ड कायम किया गया । तथा कुर्क की गई निर्माण सामग्री को नीलाम करने के आदेश दिये इस आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट ने विद्वान जिला कलेक्टर झुन्झुनू के यहां अपील पेश की जिसको बाद सुनवाई खारिज किया गया । इस आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट ने यह द्वितीय अपील पेश की है ।	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अदालत मातहत का आदेश विधि के विरूद्ध है । उक्त प्रकरण में अपीलान्ट के विरूद्ध धारा-91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं ।उक्त आराजी ~~00~~ गत ख0नं0 148 की किस्म भू-प्रबन्ध से पूर्व गै0मु0 आबादी रही है। जिसमें से गै0मु0 आबादी की उक्त जमीन में से 150 वर्गगज जमीन का पटटा तत्कालीन प्राधिकृत आंवटन अधिकारी (विकास अधिकारी) ने आवासीय प्रयोजनार्थ दिया था जिस दिन पटटा जारी किया उसी दिन से इस भूमि पर अपीलान्ट काबिज है आवास बनाकर आबाद है । इस कारण धारा-91 के प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं ।यह आराजी केवल भू-प्रबन्ध विभाग की गलती से गै0मु0 जोहड दर्ज हुई है सौके पर यह आराजी गै0मु0 आबादी है। यहां पर भू-प्रबन्ध विभाग की गलती की सजा अपीलान्ट को नहीं दी जानी चाहिये ।योग्य अदालत मातहत ने विवादित आराजी पर पूर्व में बने आवासीय मकान एवं राजस्व रेकार्ड को नजर अन्दाज कर अपना निर्णय दिया है । अतः अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त किय जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया ।पटवारी हल्का रिपोर्ट में विवादित आराजी ख0नं0 207/2 की किस्म गै0मु0 जोहड दर्ज है ।मिलान क्षेत्रफल के अनुसार गत ख0नं0 141, 142, 143, 144, 145, 148, 149, 150 से हाल ख0नं0 207 रकबा 65 68 हैक्टर बने हैं । नकल जमाबन्दी सं0- 2029 से 2032, 2014 से 2017, 2016 से 2029, 2018 से 2021, 2022 से 2025, 2012 में ख0नं0 148 व 150 गै0मु0 आबादी दर्ज है ।सम्वत 2049 से 2052 में ख0नं0 207/2 की किस्म गै0मु0 जौहड दर्ज है । पट्टा मनवरीअली खान को ө 150 वर्गगज का जारी किया है । फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 20-12-2004 में अपीलान्ट विवादित आराजी पर रहवास न कर चौका पत्थर बैचने का कार्य किया जाना बताया है । रहवास दूसरी जगह बताया है ।

पत्रावली का अवलोकन करने पर आया कि जिस आराजी पर अपीलान्ट का अतिक्रमण है वह आराजी गै0मु0 जौहड दर्ज है । इस आराजी पर अपीलान्ट का रहवास नहीं है बल्कि इस आराजी पर चौका-पत्थर का बाडा बनाकर पत्थरों का बैचान किया जा रहा है ।अर्थात इस आराजी पर व्यवसायिक कार्य किया जा रहा है ।विवादित आराजी गै0मु0 जोहड दर्ज है और यह आराजी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा -16 में वर्जित भूमि है । इसमें चाहे कितना ही पुराना कब्जा क्यों न हो इस आराजी का न तो नियमन हो सकता है और न ही आंवटन किया जा सकता है । अदालत मातहत ने इस आराजी से अपीलान्ट को अति-क्रमी मानकर बेदखल किये जाने का आदेश दिया है जो उचित एवं विधिक है । [illegible]

दिनांक	आज्ञा पत्र	
	उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट साबित नहीं होने से अपील खारिज की जाती है तथा विद्वान जिला कलेक्टर झुन्झुनू का निर्णय दिनांक 4-11-2009 एवं विद्वान तहसीलदार चिडावा का निर्णय दिनांक 27-4-2005 यथावत रखा जाता है । निर्णय सरे इजलास आज दिनांक को सुनाया गया । 16/11/18 (भंवरलाल मेहरड़ा) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर	